ई–मेल
दशमोत्तर छात्रवृत्ति

प्रेषक,

जिला समाज कल्याण अधिकारी,
लखनऊ।

सेवा में,

1– समस्त कुलसचिव, केन्द्रीय/राज्य/निजी विश्वविद्यालय एवं समस्त अफिलियेटिंग एजेन्सी जनपद लखनऊ।

2– समस्त प्रबन्धक/कुलसचिव/निदेशक/प्राचार्य/मेडिकल/इंजिनियरिंग/प्रबन्धन/पैरामेडिकल /पालीटेक्निक/आई0टी0आई आदि शिक्षण संस्थान जनपद लखनऊ।

पत्रांक :C-5310 /स0क0/दशमो0छा0/2019–20 दिनांक 29 नवम्बर 2019

विषय :– वर्ष 2019–2020 में अनुसूचित जाति/जनजाति एवं सामान्य वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना अन्तर्गत छात्र/छात्राओं के संदेहास्पद डाटा के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि वर्ष 2019–20 में अनुसूचित जाति/जनजाति एवं सामान्य वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति के अन्तर्गत संदेहास्पद डाटा छात्र/छात्राओं के लागिन पर प्रदर्शित हो रहा है जिसे समय–सारिणी के अनुसार दिनांक 30.11.2019 तक संशोधित करके उसका प्रिंट आउट दिनांक 03.12.2019 तक सम्बन्धित शिक्षण संस्थान में संलग्नकों सहित जमा किया जाना है। सम्बन्धित शिक्षण संस्थान को संशोधित किये गये छात्र/छात्राओ के छात्रवृत्ति आवेदन पत्र को आनलाइन दिनांक 06.12.2019 तक अपने लागिन से अग्रसारित किया जाना है। अतएव अपने शिक्षण संस्थान में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को अवगत कराने का कष्ट करें।

उपरोक्त के अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि दशमोत्तर छात्रवृत्ति नियमावली 2016 के बिन्दु सं.–6(अ) में दिये गये व्यवस्था के अन्तर्गत आनलाइन आवेदन पत्र में कोई डाटा/विवरण/त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण संदिग्ध अंकित करने पर छात्र/छात्रा को दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति अनुमन्य नहीं होगी, इसलिए ऐसे छात्र/छात्राओं के प्रार्थना पत्रों को कदापि प्रेषित न करें। आपके शिक्षण संस्थान में अध्ययनरत जिन छात्र/छात्राओं की आनलाइन आवेदन पत्र में सभी प्रविष्टियां सही होने के बावजूद उनका छात्रवृत्ति आवेदन पत्र संदिग्धता की श्रेणी में आ गया है, उन सभी अनुसूचित जाति/जनजाति एवं सामान्य वर्ग के छात्र/छात्राओं के निम्न अभिलेखों सहित प्रार्थना पत्र को अपने शिक्षण में जमा करवा लें, जिन्हे अधोहस्ताक्षरी कार्यालय द्वारा निदेशालय समाज कल्याण से अग्रिम आदेश मिलने के पश्चात पत्र भेजकर शिक्षण संस्थानों से मंगवा लिया जायेगा। संलग्नकों का विवरण निम्नवत है:–

1. छात्र/छात्रा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र।
2. छात्रवृत्ति आनलाइन आवेदन पत्र की छायाप्रति।
3. छात्रवृत्ति आनलाइन के वर्तमान स्टेटस की प्रति।
4. संदिग्धता से सम्बन्धित साक्ष्य के नेट की प्रति।
5. प्रवेश परीक्षा के माध्यम से प्राप्त काउंसिलिंग–पत्र

भवदीय
(डॉ अमर नाथ यति)
जिला समाज कल्याण अधिकारी
लखनऊ।

पृष्ठांकन सं0 एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।
प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
2. जिलाधिकारी महोदय, लखनऊ।
3. मुख्य विकास अधिकारी महोदय, लखनऊ।
4. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी/जिला विद्यालय निरीक्षक लखनऊ।
5. उप निदेशक, सूचना विभाग, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया वृहद प्रचार प्रसार हेतु सभी समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करें।

जिला समाज कल्याण अधिकारी
लखनऊ।

for updation of website –
Mr. shadab Ali – 4/12/19